न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –12 / 2022(2022 / 78)

अनवान : –

1. ताराचन्द पुत्र श्री सुरजाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. काशीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राज0 कॉलोनाईजेशन जनरल कण्डीशन एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत बाबत।

उपस्थिति :–श्री रोहताश शर्मा **प्रार्थी**
श्री महावीर सिंह **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांकः 25/03/22

संक्षेप में प्रार्थना पत्रके तथ्य इस प्रकार है कि चक न0 2 डी.पी.एन. के खाता सं. 56 / 49 के मु.न. 15 के किला नं. 24, मु.न. 23 के किला नं. 25, मु.न. 24 के किला नं. 4 / 1, 4 / 2, 7 ता 9, 12 ता 25 की कुल 5.0600 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में कृषी भूमि प्रार्थी ताराचन्द के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी के चिपते ही पश्चिमी तरफ अप्रार्थी काशीराम की चक 2 डीपीएन के खता सं. 21 / 20 के मु.न. 23 के किला नं. 18 से 24, मु.नं. 24 के किला नं. 10,11, मु.नं. 42 के किला नं. 3 की कुल 2.5300 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है।

प्रार्थी सदामत से गांव भरवाना से उनके खेतों की ओर आने वाला दक्षिण से उत्तरी तरफ जाने वाला खेतों का मुख्य रास्ता से होकर अप्रार्थी काशीराम की मु.नं. 23 के किला नं. 21 से 24 के दक्षिणी तरफ किला लाइन के चिपते हुवे अपने खेत के मु.नं. 23 के किला नं. 25 में से होते हुए अपने मु.न. 24 में स्थित कृषि भूमि में दाखिल हो जाता है, उक्त रास्ता सदामत से चालू है और इसी रास्ता से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है, को स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 ने राजीनामा पेश कियाजो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं 2 पेरोकार राज को वकिल प्रार्थी द्वारा तर्क अंकित किया।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीकी बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद की चक न0 2 डी.पी. एन. के खाता सं. 56/49 के मु.न. 15 के किला नं. 24, मु.न. 23 के किला नं. 25, मु. न. 24 के किला नं. 4/1, 4/2, 7 ता 9, 12 ता 25 की कुल 5.0600 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में कृषी भूमि प्रार्थी ताराचन्द के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं प्रार्थी के खातेदारी के चिपते ही पश्चिमी तरफ अप्रार्थी काशीराम की चक 2 डीपीएन के खता सं. 21/20 के मु.न. 23 के किला नं. 18 से 24, मु.नं. 24 के किला नं. 10,11, मु.नं. 42 के किला नं. 3 की कुल 2.5300 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है। उपर वर्णित भूमि में आवगमन के लिए अन्यत्र कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी ताराचन्द अप्रार्थी काशीराम की चक 2 डीपीएन के खता सं. 21/20 के मु.नं. 23 के किला नं. 21 से 24 के दक्षिणी तरफ किला लाइन के चिपते हुवे प्रत्येक किला में 0. 013है0 रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र मुताविक राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 जनरल कण्डीशन एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा चक न0 2 डी.पी.एन. के खाता सं. 56/49 के मु.न. 15 के किला नं. 24, मु.न. 23 के किला नं. 25, मु.न. 24 के किला नं. 4/1, 4/2, 7 ता 9, 12 ता 25 की कुल 5.0600 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में कृषी भूमि प्रार्थी ताराचन्द के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः प्रार्थी के आवागमन के लिए सुविधा व सन्तुलन को देखते हुए अप्रार्थी की चक अप्रार्थी काशीराम की चक 2 डीपीएन के खता सं. 21/20 के मु.नं. 23 के किला नं. 21 से 24 के दक्षिणी तरफ किला लाइन के चिपते हुवे प्रत्येक किला में 0.013है0 प्रत्येक किला में 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार रास्ते का अंकन रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/03/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ